

No. F.1/78(20)/2021-R.1
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
RECRUITMENT-1 SECTION

पद का नाम:	सहायक प्रोफेसर (यूनानी, कबलात वा अमरेज निस्वान)
विज्ञापन संख्या:	04/2022
भर्ती मामला रिक्ति संख्या	22020406126
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा

आवश्यक योग्यताएं (ईक्यू):

शैक्षिक

(i) कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा में डिग्री या भारतीय चिकित्सा के सांविधिक बोर्ड/संकाय/परीक्षा निकाय या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता प्राप्त समकक्ष।

(ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की अनुसूची में शामिल संबंधित विषय/विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री।

नोट- उम्मीदवार के अन्यथा अच्छी तरह से योग्य होने की स्थिति में, यूपीएससी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है।

तौर-तरीके:

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरी गई जानकारी और ओआरए के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों / प्रमाण पत्र के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न जांच रिपोर्ट के आधार पर पीएस किया गया है।

(ii) विज्ञापन में, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया था; हालांकि, कई आवेदकों ने पूरा प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड नहीं किया है।

(iii) चूंकि 01 पद के लिए सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या बड़ी है, यानी 61 और आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए, पीजी डिग्री के बाद शिक्षण और नैदानिक में 04 वर्ष का अनुभव यूआर श्रेणी के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(iv) अनुभव की गणना करते समय अंशकालिक/प्रति घंटा आधार/दैनिक वेतन/विजिटिंग/अतिथि संकाय/प्रशिक्षु/जीईटी/प्रशिक्षु/सलाहकार/मानद/स्वरोजगार और वजीफा के रूप में प्राप्त अनुभव की गणना नहीं की जाती है। संबंधित क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर अनुभव पर विचार किया गया है।

अनारक्षित श्रेणी के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग मानदंड : ईक्यू (i) + ईक्यू (ii) पीजी के बाद विशेषता में +04 वर्ष का शिक्षण / नैदानिक अनुभव।

ऑनलाइन भर्ती आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की जांच के आधार पर, निम्नलिखित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया गया है:

वर्ग	लघु-सूचीबद्ध आवेदक
अनारक्षित	अनुक्रमांक; 17, 21, 22, 26, 33, 36, 37, 49, 50 & 55 =10 उम्मीदवार।

निम्नलिखित आवेदनों को निम्नानुसार खारिज कर दिया गया है:

अस्वीकृति का कारण	अनुक्रमांक
LEC के तहत उम्मीदवारों को खारिज कर दिया गया	अनुक्रमांक. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 & 59 =48 उम्मीदवार।
एलईक्यू (ए) के तहत अस्वीकृत	अनुक्रमांक; 45, 60, & 61 =03 उम्मीदवार।

आवेदन किए गए उम्मीदवारों की सूची अनुलग्नक 'ए' पर है।

(परिमल ठाकुर)
उप सचिव/परामर्शदाता (आर.1)

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

ऐसे उम्मीदवार जो उक्त पद के लिए लघुसूचिबद्ध किये जाने के प्रयोजनार्थ अपनाये गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों वे मुख्या आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक 02.09.2022 तक sort1.upsc@nic.in पर प्रस्तुत कर दें। इस तिथि के बाद प्राप्त मेल नहीं खोले जाएंगे। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनो की जाँच की जायेगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/ कारण, अपनाये गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए ,तो ऐसे आवेदनो को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनो की अस्वीकृति बरकरार रहेगा। तत्पश्चात, यदि संवीक्षा सम्बन्धी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किये जायेंगे । इनमें से किसी भी मेल का कोई व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया जाएगा।

उप सचिव/परामर्शदाता
संघ लोक सेवा आयोग